संख्या-04/2017/1357/33-1-2017-2619/13

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनॉक 02 अगस्त, 2017**

विषयः- मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों के आलोक में अपर जिला पंचायत राज अधिकारी के पद का सृजन।

महोदय,

पंचायती राज विभाग में ग्राम पंचायत अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पदों की वेतन विसंगति तथा अपर जिला पंचायत राज अधिकारी एवं सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) के पदों के सृजन से सम्बन्धित प्रकरणों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन विषयक वित्त (वेतन-आयोग) के शासनादेश संख्या-32/2016/वे0आ0-2-460/दस-8(मु0स0स0)/2011 टी0सी0, दिनांक 07 जून, 2016 के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपर जिला पंचायत राज अधिकारी पद नाम से वेतन बैण्ड-2 रूपया-9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रूपया-4600/- में उ0प्र0 के प्रत्येक जनपद हेतु एक-एक नये पद कुल 75 पद सृजित किये जाने की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(क) अपर जिला पंचायत राज अधिकारी के पदों को तीन वर्ष की सेवा वाले सहायक विकास अधिकारी (पं0) के पदों से शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

(ख) जिला पंचायत राज अधिकारी के वर्तमान में पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने हेतु प्राविधानित 50 प्रतिशत पदों में से 45 प्रतिशत पदों को 02 वर्ष की सेवा वाले अथवा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) की सेवा सहित कुल 05 वर्ष की सेवा वाले अपर जिला

http://shasnadeshup.nic.in

पंचायत राज अधिकारी के पदों से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा। पात्र अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में 05 वर्ष की सेवा वाले सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पदों से पदोन्नति द्वारा भरे जाने का प्राविधान किया जाये। शेष 05 प्रतिशत पदों को वर्तमान व्यवस्था के अनुसार सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) के पदों से भरे जाने की व्यवस्था को यथावत् बनाये रखा जाये। जिला पंचायत राज अधिकारी के 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती की वर्तमान व्यवस्था को पूर्ववत् बनाये रखी जाये।

(ग) अपर जिला पंचायत राज अधिकारी के पद के कार्य एवं दायित्वों के निर्धारण के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

(घ) सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) के वर्तमान में सृजित पदों को यथावत् बनाये रखा जाय।

2- उक्तानुसार सम्बन्धित सेवानियमावली में यथा आवश्यक संशोधन की कार्यवाही पृथक से की जायेगी।

3- यह आदेश वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-2 के अशासकीय पत्र संख्या-वे0आ0-2-144/दस-2017, दिनांक 16.02.2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक- तदैव।

प्रतिलिपि-समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in